निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

16 वैशाख 1937 (श0)

(सं0 पटना 538) पटना, बुधवार, 6 मई 2015

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

6 मई 2015

सं0 एल0जी0-1-6/2015/63 लेज:।—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 29 अप्रील, 2015 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

मनोज कुमार,

सरकार के संयुक्त सचिव।

बिहार विनियोग (लेखानुदान सहित) निरसन अधिनियम, 2015
(बिहार अधिनियम 10, 2015)

राष्ट्रपति शासन काल में संसद से पारित बिहार विनियोग (लेखानुदान सहित) अधिनियमों को निरसित करने के लिए अधिनियम।

प्रस्तावना।—**चूँकि, भारत सरकार, विधि एवं न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग द्वारा बिहार राज्य सरकार से भारत संविधान के अनुच्छेद 357 (2) के अधीन यह अपेक्षा की गई है कि राष्ट्रपति शासन काल में वर्ष 1980, 1995 एवं 2005 में बनाये गये बिहार विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1980 (21, 1980), बिहार विनियोग अधिनियम, 1980 (22, 1980), बिहार विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1995 (16, 1995), बिहार विनियोग अधिनियम, 1995 (17, 1995), बिहार विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 2005 (12, 2005), बिहार विनियोग अधिनियम, 2005 (13, 2005) एवं बिहार विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम न०—2, 2005 (33, 2005) को निरसित कर दिया जाय क्योंकि अब इन अधिनियमों को बनाये रखने की आवश्यकता नहीं है;**

इसलिए अब भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ।— (1) यह अधिनियम बिहार विनियोग (लेखानुदान सहित) निरसन अधिनियम, 2015 कहा जा सकेगा।

(2) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

2. निरसन एवं व्यावृति ।— (1) इस अधिनियम से निम्नलिखित अधिनियमों को एतद् द्वारा निरसित किया जाता है।

(I) बिहार विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1980 (संख्या 21, 1980),

(II) बिहार विनियोग अधिनियम, 1980 (संख्या 22, 1980),

(III) बिहार विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1995 (संख्या 16, 1995),

(IV) बिहार विनियोग अधिनियम, 1995(संख्या 17, 1995),

(V) बिहार विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 2005 (संख्या 12, 2005),

(VI) बिहार विनियोग अधिनियम, 2005 (संख्या 13, 2005),

(VII) बिहार विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम न०—2, 2005 (संख्या 33, 2005) ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी इस धारा की उप—धारा (1) के अधीन निरसित किये गये अधिनियमों द्वारा अथवा के अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग में आरंभ की गयी कोई कार्रवाई, कार्यवाही अथवा कुछ भी तब तक जारी रहेगा, जब तक की गयी कार्रवाई, कार्यवाही अथवा कुछ भी की समाप्ति न हो जाय, मानों प्रश्नगत अधिनियम निरसित नहीं किया गया है ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मनोज कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

6 मई 2015

सं0 एल0जी0-1-6/2015/64 लेज:।—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा 29 अप्रील 2015 को अनुमत **बिहार विनियोग (लेखानुदान सहित) निरसन अधिनियम, 2015** का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड(3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मनोज कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

Bihar Appropriation (Including Vote on Account) Repeal Act, 2015
(Bihar Act 10, 2015)
AN
ACT

To repeal the Laws which are no longer needed or relevant which has been passed by the Parliament during President Rule.

Preamble. -WHEREAS, under the provision of Article 357 (2) of the constitution of India the Government of India, Ministry of Law & Justice, Legislative Department it has been required from State of Bihar that the Appropriation Acts

(Including Vote on Account) passed by the parliament during the President Rule, in the year 1980, 1995 and 2005:- The Bihar Appropriation (Vote on Account) Act, 1980 (No. 21 of 1980), The Bihar Appropriation Act, 1980 (No. 22 of 1980), The Bihar Appropriation (Vote on Account) Act, 1995 (No. 16 of 1995), The Bihar Appropriation Act, 1995 (No. 17 of 1995), The Bihar Appropriation (Vote on Account) Act, 2005 (No. 12 of 2005), The Bihar Appropriation Act, 2005 (No. 13 of 2005) and The Bihar Appropriation (Vote on Account) No. 2 Act, 2005 (No. 33 of 2005) are no longer required to be continued and that they should be repealed;

Be it enacted by the legislature of the State of Bihar in the Sixty sixth year of the Republic of India as follows:-

1. ***Short title and commencement.-*** (1) This Act may be called the Bihar Appropriation (Including Vote on Account) Repeal Act, 2015.

(2) It shall come into force at once.

2. Repeal and Savings.- (1) The following acts are hereby repealed by this Act.

(I) The Bihar Appropriation (Vote on Account) Act, 1980 (No. 21 of 1980),

(II) The Bihar Appropriation Act, 1980 (No. 22 of 1980),

(III) The Bihar Appropriation (Vote on Account) Act, 1995 (No. 16 of 1995),

(IV) The Bihar Appropriation Act, 1995 (No. 17 of 1995),

(V) The Bihar Appropriation (Vote on Account) Act, 2005 (No. 12 of 2005),

(VI) The Bihar Appropriation Act, 2005 (No. 13 of 2005),

(V) The Bihar Appropriation (Vote on Account) No. 2 Act, 2005 (No. 33 of 2005).

(2) Notwithstanding such repeal, any action, proceeding or anything initiated in exercise of the power conferred by or under any of the Acts repealed under the sub section (1) shall continue till the determination of the action, proceeding or anything done, as if the Act in question has not been repealed.

By order of the Governor of Bihar,
MANOJ KUMAR,
Joint Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 538-571+400-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in